नगर पंचायत जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015

भाग—एक

1 **प्रारम्भिक (क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1—376 / 81—फिन(एल0ए0)खण्ड—पार्ट, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत जुब्बल, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रधान एवं सचिव नगर पंचायत जुब्बल में नियन्त्रक अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे

अवधि	अध्यक्ष का नाम	सचिव / आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
1.4.2012 से 12.9.2012	श्री गोबिंद सोरटा	श्री ए0 एन0 ठाकुर, तहसीलदार
14.9.2012 से 31.3.2015	श्री गोबिंद सोरटा	श्री डी0 एस0 कौशल, तहसीलदार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0 सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	उचित वित्तीय प्रबन्धन न होने के कारण ब्याज के रूप में सम्भावित आय की हानि का होना	5(ख)	12.08
2	अनुदान की राशि का व्यय / उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6(क)	94.32
3	अनुदान में से स्थापना पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय करना	6(घ)	25.31
4	गृह कर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	10(क)	11.25
5	सरकार के निर्देशानुसार गृह कर की दर में वृद्धि न करने के कारण वित्तीय हानि का होना	10(ख)	4.27
6	दुकानों के किराए की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	11	15.14
7	गलत दर से वेतन आहरण करने के कारण वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना	18	0.84
8	क्रय की गई वस्तुओं का भण्डार रजिस्टर में ईन्द्राज न करना	29	5.10

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान / कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से

यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत जुब्बल के अवधि 4/2012 से 3/2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, श्री हेम राज भारद्वाज, सहायक नियंत्रक व श्री चेत राम, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.3.2016 से 20.4.2016 तक नगर पंचायत जुब्बल स्थित कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 6/12, 4/13, 3/15 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु 10/12, 10/13 व 2/15 के लेखाओं चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत कार्यालय जुब्बल द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलबध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किभी भी प्रकार के प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत जुब्बल के अवधि 4/2012 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹30000 आंका गया, जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु सचिव, नगर पंचायत जुब्बल से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 118/2016, दिनांक 13.4.2016 द्वारा अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण शुल्क की ₹30000 भारतीय स्टेट बैंक जुब्बल के डिमांड ड्राफ्ट संख्याः 541703, दिनांक 194.2016 के माध्यम से पत्र संख्याः 174, दिनांक 19.4.2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को प्रेषि कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) नगर पंचायत जुब्बल के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2015 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है। [**परिशिष्ट "ख"** के अनुसार]

वित्तीय वर्ष	लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष	आय/ प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
	स्वतः स्त्रोत	507262.65	681485	1188747.65	424787.00	763960.65
2012–13	अनुदान	8827081.43	2956596	11783677.43	2643296.00	9140381.43
	कुल जोड़	**9334344.08**	**3638081**	**12972425.08**	**3068083.00**	**9904342.08**

	स्वतः स्त्रोत	763960.65	1247850	2011810.65	1561539.00	450271.65
2013—14	अनुदान	9140381.43	1643895	10784276.43	2088215.00	8696061.43
	कुल जोड़	**9904342.08**	**2891745**	**12796087.08**	**3649754.00**	**9146333.08**
2014—15	स्वतः स्त्रोत	450271.65	1139460	1589731.65	1099479.40	490252.25
	अनुदान	8696061.43	3618269	12314330.43	2882626.00	9431704.43
	कुल जोड़	**9146333.08**	**4757729**	**13904062.08**	**3982105.40**	**9921956.68**

दिनांक 1.4.2012 को स्वतः स्त्रोत और SFC अनुदान का आरम्भिक शेष ₹1375823.65 था, जिसमें से स्वतः स्त्रोत की ₹507262.65 और SFC अनुदान की ₹865861 का शेष था। अतः स्वतः स्त्रोत व SFC अनुदान के आरम्भिक शेष को अलग—अलग यथा शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित करके दर्शाया गया है।

(ख) दिनांक 31.3.2015 को हस्तगत रोकड़/सावधिक जमा/बैंक खातों के अनुसार शेष है। [परिशिष्ट ''ख'' के अनुसार]

1	Cash/Cheques in hand		124012
	(i) Cash in hand	99012	
	(ii) Cheques in hand i.e. Cheque No. 104729 dt. 20.4.2015 received vide receipt No. 12436 dt. 23.3.2015	25000	
2	SBI Saving A/C No. 11511190590	Municipal Fund	52419.96
3	SBI Saving A/C No. 11511193705	Municipal Fund	8249333.72
4	HDFC Bank Saving A/c No. 50100034794787	Municipal Fund	102632.00
5	HP State Co-op Bank Saving A/c No. 41610104750	Municipal Fund	1352029.00
6	PLA A/c (Treasury)	Municipal Fund	33115.00
		Total	**₹9913541.00**
	दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ वही के अनुसार शेष		**₹9921956.68**
	दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति एवं बैंक खातों में दर्शाए गए शेषों में अन्तर (9921956.68—9913541.68)		**₹8415**

(ग) बैंक समाधान विवरण दिनांक 31.3.2015 को

Particulars	Amount	Amount
Closing Balance as per Cash Book/Financial Position as on 31.3.2015		9921956
Less:- (i) Difference as last Audit report 4/2007 to 3/2012 i.e. Amount short in the bank	8375	(—) 8415
(ii) Amount of income short deposited into bank on 31.3.2013 i.e. ₹18692 instead of ₹18732	40	
Closing balance in Banks & Cash in hand as per detail given above in 4(क)		**9913541**

(घ) रोकड़ वही व बैंक खातों में ₹8375 के अन्तर का समाधान न करना

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2012 के पैरा संख्याः 4 के अनुसार रोकड़ रोकड़ वही व बैंक खातों में ₹8375 का अन्तर था, जोकि पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, किन्तु उक्त नगर पंचायत द्वारा वर्णित अन्तर का समाधान वर्तमान अंकेक्षण के दौरान भी नहीं किया गया था। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि इस अनियमितता बारे प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाए तथा विस्तृत जांच के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड.) Post dated चैक की रसीद जारी करने सम्बन्धी अनियमितता

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा Post dated चैक संख्याः 104729, दिनांक 20.4.2015, ₹25000 को चैक की तिथि से पूर्व दिनांक 23.3.2015 को रसीद संख्याः 12436 काटकर प्राप्त किया गया था, जोकि वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, क्योंकि Post dated चैक की वास्तविक प्राप्ति तिथि चैक की तिथि होगी तथा इससे पूर्व इसकी रसीद जारी करना अनियमित होगा। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में रसीद दिनांक 20.4.2015 को अर्थात चैक को बैंक में जमा करवाने की तिथि को काटी जानी चाहिए थी, ताकि लेखों में यथानुसार उचित लेखांकन सम्भव हो सके। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में Post dated चैक की रसीद उक्त सुझावानुसार काटकर लेखों में यथानुसार उचित लेखांकन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) बिना लेन–देन वाले बैंक खातों को जारी रखने का औचित्य स्पष्ट न करना

अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा निम्न वर्णित बचत खाते खोले गए हैं, जिनमें दिनांक 19.5.2010 के उपरान्त छह माही ब्याज के अतिरिक्त अन्य कोई भी वित्तीय लेन–देन नहीं हुआ तथा इन बचत खातों में दिनांक 31.3.2015 को ₹1487776 अन्तिम शेष में अनुपयुक्त हुई थी, जिससे वर्णित बचत खाते निष्क्रिय से प्रतीत होते हैं। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक उसमें से कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इन बचत खातों को बिना वित्तीय लेन–देन के जारी रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को बन्द करके इनमें जमा पड़ी अनुपयुक्त राशि को नगर पंचायत के अन्य बचत खातों में हस्तांतरित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	बैंक का नाम	बचत खाता सं0	दिनांक 31.3.2015 को शेष जमा राशि	अभियुक्ति
1	HDFC Bank-Jubbal	50100034794787	102632	खाता खोलने की तिथि 1.2.2014 से अंकेक्षणाधीन अवधि में अनुपयोग
2	HP State Co-op Bank- Jubbal	41610104750	1352029	अंकेक्षणाधीन अवधि में अनुपयोग
3	PLA A/c	Sub Treasury Jubbal	33115	पूर्व अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2012 से शेष चले आ रहे हैं
		कुल जोड़	**₹1487776**	

(छ) बैंक में जमा ₹3.41 लाख की प्राप्ति का स्त्रोत व प्रकृति का विवरण अंकेक्षण को स्पष्ट न करना

रोकड़ वही के योग व बैंक समाधान विवरण सम्बन्धी अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख की जांच करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार बैंक में जमा ₹340667 की प्राप्ति का स्त्रोत व प्रकृति का विवरण न तो रोकड़ में ही वर्णित था और न ही नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया, जिसकी अनुपस्थिति में वर्णित प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उनसे कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब इन प्राप्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण/अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके इनका सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	बैंक का नाम	दिनांक	राशि
1	SBI Saving A/c No. 11511193705	26.5.2012	25000
2	-do-	19.6.2012	3000
3	-do-	25.4.2013	47000
4	-do-	26.4.2013	162287
5	-do-	26.4.2013	19380
6	-do-	13.1.2014	25000
7	-do-	16.4.2014	59000
		कुल जोड़	**₹340667**

(ज) नगर पंचायत निधि की रोकड़ वही/बैंक खाते में ₹5890 की कम गणना करना

रोकड़ वही के योग व बैंक समाधान विवरण से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार प्राप्त आय के योग व गणना की विभिन्न त्रुटियों के कारण नगर पंचायत निधि की रोकड़ वही/बैंक खाते में ₹5890 की कम गणना/जमा पाई गई,

जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 120, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अनियमितता का तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्व छानबीन के उपरान्त उक्त वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करने के अतिरिक्त भविष्य में ऐसी चूक न हो इस हेतु आन्तरिक जांच प्रणाली की सुदृढ़ किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	प्राप्त आय का विवरण	प्राप्त राशि	रोकड़ वही बैंक खाते में गणना/ जमा राशि	रोकड़ वही बैंक खाते में कम गणना/ जमा राशि
1	Rt.No. 11520 to 11544 (except 11538) Dated 30.3.2013	18732	18692	40
2	Rt. No. 181 to 194 Dated 10.9.2014=14 Nos of ₹10 each	140	Nil	140
3	Rt. No. 196 to 217 Dated 12.9.2014=22 Nos of ₹10 each	220	Nil	220
4	Rt. No. 219 to 286 Dated 13.9.2014=68 Nos of ₹10 each	680	Nil	680
5	Rt. No. 288 to 296 Dated 18.9.2014=9 Nos of ₹10 each	90	Nil	90
6	Rt. No. 298 to 341 Dated 18.9.2014 to 20.9.2014=44 Nos of ₹10 each	440	Nil	440
7	Rt. No. 343 to 430 Dated 20.9.2014 to 24.9.2014=88 Nos of ₹10 each	880	Nil	880
8	Rt. No. 433 to 458 Dated 25.9.2014 to 26.9.2014=26 Nos of ₹10 each	260	Nil	260
9	Rt. No. 468 to 477 Dated 27.9.2014=10 Nos of ₹10 each	100	Nil	100
10	Rt. No. 479 to 523 Dated 27.9.2014 to 30.9.2014=45 Nos of ₹10 each	450	Nil	450
11	Rt. No. 525 to 556 Dated 30.9.2014 to 1.10.2014=32 Nos of ₹10 each	320	Nil	320
12	Rt. No. 558 to 566 Dated 1.10.2014 =9 Nos of ₹10 each	90	Nil	90
13	Rt. No. 568 to 582 Dated 1.10.2014 =15 Nos of ₹10 each	150	Nil	150
14	Rt. No.584 to 588 Dated 3.10.2014 =5 Nos of ₹10 each	50	Nil	50
15	Rt. No.590 to 616 Dated 3.10.2014 =27 Nos of ₹10 each	270	Nil	270

16	Rt. No.618 to 624 Dated 4.10.2014 =7 Nos of ₹10 each	70	Nil	70
17	Rt. No. 626 to 631 Dated 4.10.2014 =6 Nos of ₹10 each	60	Nil	60
18	Rt. No. 633 to 635 Dated 4.10.2014 =3 Nos of ₹10 each	30	Nil	30
19	Rt. No. 638 to 643 Dated 6.10.2014 =6 Nos of ₹10 each	60	Nil	60
20	Rt. No. 645 to 648 Dated 10.10.2014 =4 Nos of ₹10 each	40	Nil	40
21	Rt. No. 650 to 695 Dated 6.10.2014 to 8.10.2014 =46 Nos of ₹10 each		Nil	460
22	Rt. No. 702 to 729 Dated 8.10.2014 to 10.10.2014 =28 Nos of ₹10 each		Nil	280
23	Rt. No. 730 to 800 Dated 10.10.2014 to 13.10.2014 =71 Nos of ₹10 each		Nil	710
	कुल जोड़	**₹24582**	**₹18692**	**₹5890**

5 निवेश

(क) अंकेक्षण अवधि के अन्त तक विभिन्न खातों में निवेशित/जमा राशि का विवरण **परिशिष्ट ''ख''** में दिया गया है, जिसके अवलोकन पर विदित होता है कि रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न बैंकों में रखे गए बचत खातों में ₹97.90 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी।

(ख) उचित वित्तीय प्रबन्धन न होने के कारण ₹12.08 लाख के ब्याज से सम्भावित आय की हानि

उपरोक्त पैरा 5 (क) के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न बैंकों में रखे गए बचत खातों में ₹97.90 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी तथा इन जमाओं पर अंकेक्षण अवधि के दौरान 4% की दर से निम्न विवरणानुसार ₹1161858 ब्याज के रूप में अर्जित/प्राप्त हुई थी। यदि कुशल वित्तीय प्रबन्धन से यही राशि सावधिक जमा में निवेशित होती, तो निम्न विवरणानुसार ₹1207873 की ब्याज से अतिरिक्त आय होती, परन्तु वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण लगभग ₹1207873 की ब्याज से आय की हानि उठानी पड़ी, जोकि सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के चलते आसानी से रोकी जा सकती थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 120, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इतनी बड़ी राशि को बचत खाते में जमा रखने की अपेक्षा, पंचायत की वित्तीय आश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अल्प व दीर्घकालिक सावधिक जमा में निवेशित करने की सम्भावना को तलाशा जाए, ताकि पंचायत की विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

क्र0 सं0	बैंक का नाम	4% की दर से अर्जित/प्राप्त ब्याज की राशि		8% की अपेक्षित दर से सावधिक जमा में निवेश पर ब्याज की जो राशि अर्जित होती	ब्याज से आय की हानि की सम्भावित राशि
		अवधि	ब्याज की राशि		
1	SBI Saving A/c No. 11511190590	1.4.12 to 31.3.15	5848	11928	6080
2	SBI Saving A/c No. 11511193705	1.4.12 to 31.3.15	1004963	2049727	1044764
3	HDFC Bank Saving A/c No.	1.4.12 to 31.3.15	2632	5368	2736
4	HP State Co-op Bank Saving A/c No. 41610104750	1.4.12 to 31.3.15	148415	302708	154293
		कुल जोड़	**₹1161858**	**₹2369731**	**₹1207873**

6 अनुदान

सचिव नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** के माध्यम से अवधि 4/2012 से 3/2015 के दौरान अनुदान की प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः—

(क) अनुदान की ₹94.32 लाख का दिनांक 31.3.2015 को व्यय/उपयोग हेतु शेष पाया जाना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को अनुदान की ₹9431704.43 व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। अतः इन अनुपयोगी अनुदान की राशियों को निर्धारित समय के अन्दर या सक्षम प्राधिकारी से उपयोग हेतु समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हीं उद्धेश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिस उद्धेश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उचित समय के अन्दर जारी करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान की ₹49.25 लाख का अवरोधन करना

अनुदान के उपयोग सम्बन्धी दिशा—निर्देशों के अनुसार प्राप्त अनुदान की राशि से निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्य सामान्य व तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही शुरू करके समान्यता स्वीकृति तिथि के एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने अपेक्षित थे, किन्तु

प्रस्तुत अभिलेख व सूचनाओं (**परिशिष्ट "ग"**) के अवलोकन करने पर विदित हुआ कि निम्नलिखित अनुदान की राशियों को पिछले कई वर्षों से सम्बन्धित उद्धेश्यों हेतु उपयोग नहीं किया गया था।

क्र0 सं0	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृति पत्र सं0 व दिनांक	स्वीकृत राशि	व्यय	शेष राशि
1	Calamity Relief/Rain Damages	Repair of road drain & path etc.	UD-H(F)(10)-9/2007-II-12827-76 dated 17.9.2011	548763	338442	210321
			UD-H(F)(10)-9/2007-II-5265-5315 dated 1.1.2013	398514	Nil	398514
2	Tourism Deptt.	Infraustructure Dev. of Jubbal & Kotkhai as tourist destination	6-6/2009-DTO-SML-1108 dated 8.3.2011	1777497	50000	1727497
			6-6/2009-DTO-SML-1108 dated 24.10.2011	750000	Nil	750000
3	EIUS/NSDP	Dev of Slum Pocket	UD(EIUS/NSDP)H(D)1/2-IX-2708-33 dated 7.2.2011	153000	Nil	153000
4	SJSRY	Subsidy & Traning to poor & A& OE	UD-H(F)(1)-10/1997-XI-6255-6314 dated 20.3.2012	60000	Nil	60000
			UD-H(F)(1)-10/1997-IX-14414-14475 dated 13.8.2012	62239	Nil	62239
			UD-H(F)(1)-10/1997-IX-20070-20129 dated 22.12.2012	63955	Nil	63955
			UD-H(F)(1)-10/1997-IX-382-82 dated 14.6.2013	7896	7500	396
			UD-H(F)(1)-10/1997-X-	85600	Nil	85600

			543-584 dated 23.4.2014			
5	Sports Deptt.	Repair of stadium	DYSS/SML(std Jbl)43/2008-279 dated 14.8.2012	500000	Nil	500000
6	RGURF	C/O Car Parking at Jubbal	UD-H(F)(10)-2/2005-RUGRF-11490 dated 3.9.2008	662982	249538	413444
			UD-H(F)(10)-2/2005-RUGRF-7744-54 dated 20.4.2011	500000	Nil	500000
			कुल जोड़	**₹5570446**	**₹645480**	**₹4924966**

इस प्रकार उक्त वर्णित विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि निर्माण कार्य स्वीकृति तिथि के उपरान्त लगभग 2 से 7 वर्ष की अवधि बीत जोने के उपरान्त भी आरम्भ नहीं हो पाए तथा राशि अभी भी बिना खर्च के बैंक बचत खाते में शेष पड़ी थी, जिसके कारण उक्त राशि अवरूद्ध रही एवं सम्बन्धित जनता को प्राप्त होने वाले लाभों से भी वंचित होना पड़ा। इस सम्बनध में सचिव, नगर पंचायत से अंकेक्षण अधियाना संख्याः 124/2016, दिनांक 19.4.2016 द्वारा कारणों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए इन अनुपयोगी अनुदान की राशियों को सक्षम प्राधिकारी से उपयोग हेतु समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उन्हीं उद्धेश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिन उद्धेश्यां हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था तथा भविष्य में प्राप्त अनुदान की राशियों को सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनुदान के उद्धेश्य की पूर्ति हो तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुदान की ₹76.14 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित करने से सम्बन्धी सूचना/अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट ''ग''** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 4/2012 से 3/2015 के दौरान अनुदान से ₹7614137 व्यय की गई, परन्तु इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित करने सम्बन्धी सूचना/अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुदान से व्यय की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित ही नहीं किए गए थे।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्स्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाने के साथ–साथ जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्र की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(घ) अनुदान में से स्थापना पर ₹25.31 लाख का निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "घ"** के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि शीर्ष 4th SFC अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान की राशि का अधिक से अधिक भाग सम्पत्तियों के सृजन व रख–रखाव पर खर्च किया जाना अपेक्षित था, ताकि आय के स्त्रोतों में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त राशि को नगर पंचायत को वैधानिक व हस्तांतरित कार्यों के निर्वहन और चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान पर खर्च किया जाना था, लेकिन अनुदान में से स्थापना पर सीधे व्यय का कोई प्रावधान नहीं था, परन्तु निम्न वर्णित तथ्यों से स्पष्ट विदित होता है कि अनुदान के उक्त वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल स्थापना पर वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में क्रमशः 74.25%, 46.90% व 47.72% तथा अन्य वर्णित उद्धेश्य पर क्रमशः 25.75%, 53.10% व 52.28% ही खर्च किया गया है, जोकि अनुदान का उपयोग सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 120, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनसे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्राप्त अनुदान को सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनुदान के उद्धेश्य की पूर्ति के साथ–साथ पंचायत की आय में भी वृद्धि हो सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	शीर्ष 4th SFC के अन्तर्गत प्राप्त कुल अनुदान की राशि	प्राप्त अनुदान का उद्धेश्य	स्थापना पर किया गया व्यय	स्थापना पर अनुदान से किया गया व्यय
2012–13	1367830	Maintenance of assets	1015574	74.25%
2013–14	738841	Performance of statutory & delegated functions	346528	46.90%
2014–15	2449632	Honorarium to elected reprensenatives	1168994	47.72%
कुल जोड़	**₹4556303**		**₹2531096**	**55.55%**

7 पेंशन व ग्रेच्युटी निधि, अंशदायी पेंशन योजना निधि व सामान्य भविष्य निधि

पेंशन व ग्रेच्युटी निधि व सामान्य भविष्य निधि

(क) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई बैंक खाता संख्याः SBI Saving A/c No. 33348151202 की पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख पर आधारित अवधि 3.10.2013 से 31.3.2015 की पेंशन व ग्रेच्युटी तथा सामान्य भविष्य निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	आरम्भिक शेष	अभिदान/अंशदान से प्राप्त राशि	ब्याज से प्राप्त राशि	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14 (3.10.13 से)	पेंशन व ग्रेच्युटी	534296	46392	10578	591266	90	591176
	सामान्य भविष्य निधि	535407	64800	–	600207	56000	544207
	कुल जोड़	**1069703**	**111192**	**10578**	**1191473**	**56090**	**1135383**
2014–15	पेंशन व ग्रेच्युटी	591176	98688	47289	737153		737153
	सामान्य भविष्य निधि	544207	148900	–	693107	430000	263107
	कुल जोड़	**1135383**	**247588**	**47289**	**1430260**	**430000**	**1000260**
	दिनांक 31.3.2015 को SBI Saving A/c No. 33348151202 **के अनुसार शेष**						**1000260**

(ख) बैंक में जमा की गई ₹2.96 लाख की प्राप्ति का स्त्रोत व प्रकृति का विवरण/अभिलेख अंकेक्षण को स्पष्ट न करना

अंकेक्षण को पेंशन व ग्रेच्युटी तथा सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई बैंक खाता संख्याः SBI Saving A/c No. 33348151202 की पास बुक अवधि 3.10.2013 से 31.3.2015 की बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खाते बैंक में दिनांक 13.1.2013 को जमा ₹296239 की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख/स्त्रोत व प्रकृति का विवरण नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट/प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसकी अनुपस्थिति में वर्णित प्राप्त राशि की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः अब वर्णित प्राप्त राशि से सम्बन्धित पूर्ण विवरण/अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके इनका सत्यापना करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अलग बैंक खाते का रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अलग बैंक खाते का रख–रखाव नहीं किया गया था तथा कर्मचारियों से माहवार प्राप्त अभिदान की राशि को पेंशन व ग्रेच्युटी निधि के भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए बचत खाता संख्याः 33348151202 में ही जमा किया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित ₹263107 पेंशन व ग्रेच्युटी निधि के बैंक खाते में शेष जमा थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि का अलग बैंक खाता खोलकर उसमें उक्त वर्णित ₹263107 को पेंशन व ग्रेच्युटी निधि के बैंक खाते से हस्तांतरित करके जमा करवाकर वर्णित अनियमितता का समाधान किया जाए और भविष्य में कर्मचारियों से माहवार प्राप्त अभिदान की राशि को सामान्य भविष्य निधि के बैंक खाते में ही जमा करवाया जाना भी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ₹0.92 लाख की ब्याज के रूप में आय की हानि

दिनांक 31.3.2015 को पेंशन व सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पेंशनयोजना निधि के सम्बन्धित बैंक बचत खाते में ₹18.36 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी तथा इन जमाओं पर अंकेक्षण अवधि के दौरान 4% की दर से निम्न विवरणानुसार ₹88198 ब्याज के रूप में अर्जित/प्राप्त हुई थी। यदि कुशल वित्तीय प्रबन्धन से यही राशि य 8% की अपेक्षित दर से सावधिक जमा में निवेशित होती, तो निम्न विवरणानुसार ₹91691 की ब्याज से अतिरिक्त आय होती, परन्तु वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण लगभग ₹91691 की ब्याज से आय की हानि उठानी पड़ी, जोकि सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के चलते आसानी से रोकी जा सकती थी।

क्र0 सं0	बैंक का नाम	4% की दर से अर्जित/प्राप्त ब्याज की राशि		8% की दर से सावधिक जमा में निवेश पर ब्याज की जो राशि अर्जित होती	ब्याज से आय की हानि की सम्भावित राशि
		अवधि	ब्याज की राशि		
1	SBI Saving A/c No. 33348151202 (Pesssions G.P.F)	3.10.13 to 31.3.15	57867	118026	60159
2	SBI Saving A/c No. 33348151892 (CPS Fund)	3.10.13 to 31.3.15	30331	61863	31532
	कुल जोड़		**₹88198**	**₹179889**	**₹91691**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में सम्बन्धित निधियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक राशि को सावधिक जमाओं में निवेश करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ब्याज से आय की हानि भी न हो व सम्बन्धित कर्मचारियों को भी नियमानुसार जमा राशियों पर ब्याज का पूर्ण लाभ प्रदान किया जा सके।

(ङ.) अंशदायी पेंशन योजना निधि (CPS)

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई बैंक खाता संख्याः SBI Saving A/c No. 33348151892 की पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख पर आधारित अवधि 3.10.2013 से 31.3.2015 की अंशदायी पेंशन योजना निधि (CPS) की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	अभिदान/अंशदान से प्राप्त राशि	ब्याज से प्राप्त राशि	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14 (3.10.13से)	497520	64848	5092	567460	–	567460
2014–15	567460	243696	25239	836395	–	836395
दिनांक 31.3.2015 को SBI Saving A/c No. 33348151892 के अनुसार शेष						**₹836395**

(च) अंशदायी पेंशन योजना निधि, सामान्य भविष्य निधि व पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करना

हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG-B(1)-1/79-III, दिनांक 25.4.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के कर्मचारियों को पेंशन के लाभों की अदायगी के उद्धेश्य हेतु निदेशक द्वारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ–साथ इनका रख–रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह भी प्रावधान किया गया है कि नगरपालिकाएं कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पेंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाएगी। नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख–रखाव भी निदेशक द्वारा भी किया जाएगा। नगर पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि :–

(i) उक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख–रखाव निदेशक की अपेक्षा नगर पंचायत द्वारा स्वयं ही किया जा रहा था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है।

(ii) नियमानुसार पेंशन व ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी पेंशन योजना निधियों का अलग–अलग बैंक बचत खाता/रोकड़ वही व वही खाता का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है, किन्तु इसके प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा इन निधियों की रोकड़ वही व वही खाता का रख–रखाव नहीं किया गया था, जबकि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कर्मचारियों का मासिक अभिदान पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के बैंक खाते में जमा किया जा रहा था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना तथा अनियमित है।

(iii) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के खातों में ₹676691 जमा थी तथा यह राशि सावधि जमा में निवेश की अपेक्षा बचत खातों में जमा रखी जा रही थी, जिस जमा पर बैंक द्वारा बचत खाते का ब्याज जोकि केवल 4% है, दिया गया था। इस प्रकार बचत राशि को सावधिक जमा में निवेश न करके ब्याज रूप में भी धन की लगातार हानि हो रही थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 120, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह मामला निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय के ध्यान में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु लाया जाता है।

(छ) अंकेक्षण अवधि 1.4.2012 से 2.10.2013 तक की पेंशन व ग्रेच्युटी, अंशदायी पेंशन योजना निधि (CPS) तथा सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित बैंक खातों की पास बुक/विवरणी अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण द्वारा नगर पंचायत से बार–बार अनुरोध करने पर भी अवधि 1.4.2012 से 2.10.2013 तक की पेंशन व ग्रेच्युटी, अंशदायी पेंशन योजना निधि (CPS) तथा सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित बैंक खातों की पास बुक/विवरणी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में इन निधियों में जमा व आहरित राशियों तथा वित्तीय स्थिति की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः उक्त वर्णित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके इनका सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित की जाए।

8 दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता वहियों का रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता वहियों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 1.4.2009 से दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख–रखाव करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त वर्णित निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण जहां निदेशक के आदेशों की उल्लंघना हो रही है, वहीं किस मद से कितनी आय प्राप्त हुई और किस मद पर

कितना खर्च हुआ तथा खर्च की गई राशि अनुमोदित बजट प्रावधान से अधिक तो नहीं है या अनुदान से प्राप्त राशि का उसी उद्धेश्य हेतु व प्राप्त अनुदान की राशि की सीमा तक ही व्यय किया गया था या नहीं इत्यादि तथ्यों/सूचना की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उक्त के अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टर/अभिलेख का भी रख–रखाव नहीं किया जा रहा था।

(i) कांट्रेक्टर लैजर

(ii)पेंशन निधि/सामान्य भविष्य निधि/अंशदाई पेंशन योजना निधि की रोकड़ वहियां/खाता वहियां

(iii) प्रतिभूति जमा रजिस्टर

(iv) स्थापना चैक रजिस्टर (ECR)

(v) बिजली उपकर मांग व संग्रहण रजिस्टर

(vi) मदिरा शुल्क मांग व संग्रहण रजिस्टर

(vii) बिजली/टेलीफोन/पानी बिल चैक रजिस्टर

9 रोकड़ वही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना

हि0 प्र0 म्यूनिसिपल लेखा संहिता के अध्याय–III के नियम 19(3) के अनुसार रोकड़ वही को अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है, किन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जोकि उक्त वर्णित प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इसके अतिरिक्त अवधि 4/2012 से 3/2015 तक की रोकड़ वही के शेष का प्रत्येक माह के अन्त में बैंक खातों के शेष से मिलान भी नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ वही को लेखा संहिता के प्रावधानानुसार सत्यापित करवाया जाना और इनका प्रत्येक माह के अन्त में बैंक खातों के शेष से मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 गृहकर वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) गृहकर की धीमी वसूली के कारण ₹11.25 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ड."** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2015 को निम्न विवरणानुसार गृहकर की ₹1125182 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	कुल मांग	कुल राशि	प्राप्ति	अन्तिम शेष	वर्ष में मांग की तुलना में प्राप्त राशि की
2012–13	595957	213639	809596	19016	790580	8.90%
2013–14	790580	213639	1004219	85312	918907	39.93%
2014–15	918907	213639	1132546	7364	1125182	3.45%
	कुल जोड़	**₹640917**	**–**	**₹111692**		**17.43%Avg.**

उक्त प्रस्तुत विवरण से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि गृहकर की वसूली की गति बहुत ही धीमी है, क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर की कुल वसूली वार्षिक मांग की केवल 20% औसत से भी कम रही, जिस कारण वसूली हेतु शेष राशि घटने की अपेक्षा वर्ष दर वर्ष बढ़ती ही जा रही थी। अतः वर्णित शेष राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) सरकार के निर्देशानुसार गृहकर की दर में वृद्धि न करने के कारण ₹4.27 लाख की वित्तीय हानि का होना

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UDH©(10)–7/98–II, दिनांक 17.11.2003 के अनुसार अवधि 2002–2003 में 7.5% की दर से गृहकर लगाकर इसमें प्रति वर्ष 1% की वृद्धि करके अवधि 2006–2007 तक गृहकर की दर को 12.5% किया जाना अपेक्षित था, किन्तु नगर पंचायत द्वारा गृहकर में नियमानुसार कोई वृद्धि नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप पंचायत को निम्न विवरणानुसार ₹427278 की गृहकर की हानि हुई। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 के पैरा 8(ख) द्वारा भी परामर्श दिया गया था, किन्तु उसके बावजूद भी सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई अमल में न लाना गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में पुनः अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 120, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	7.5% की दर से गृहकर की मांग की राशि	12.5% की दर से गृहकर की अपेक्षित मांग की राशि	अन्तर
2012–13	213639	356065	142426
2013–14	213639	356065	142426
2014–15	213639	356065	142426
कुल जोड़	**₹640917**	**₹1068195**	**₹427278**

11 दुकानों के किराये की ₹15.14 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना

(क) अंकेक्षण को **परिशिष्ट 'ड."** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2015 तक दुकानों के देय किराये की ₹1513468 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	कुल मांग	कुल राशि	प्राप्ति	अन्तिम शेष	वर्ष में मांग की तुलना में प्राप्त राशि की
2012–13	1244012	399768	1643780	200700	1443080	50.20%
2013–14	143080	399768	1842848	214800	1628048	53.73%
2014–15	1628048	399768	2027816	514348	1513468	128.66%
	कुल जोड़	**₹1199304**		**₹929848**		**77.53%Avg**

उक्त प्रस्तुत विवरण से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि शेष किराये की वसूली की गति बहुत ही धीमी थी, क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान किराया की कुल वसूली, वार्षिक मांग के 80% औसत से भी कम रही, जिस कारण वसूली हेतु शेष राशि घटने की अपेक्षा वर्ष दर वर्ष बढ़ती ही जा रही है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्याः 'च" पर वर्णित प्रकरणों में ही वसूली हेतु शेष ₹1106950 थी अर्थात कुल वसूली हेतु शेष राशि का 73% थी। अतः उक्त वर्णित शेष राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाया जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) दुकानों के किराये की बकाया ₹0.26 लाख कम अग्रेषित करना

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित किराएदारों का पिछला बकाया किराया आगामी वित्त वर्ष में कम अग्रेषित किया गया था, जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके कारण किराये की कम वसूली से आय की हानि की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कम अग्रेषित दुकानों के किराये की देय राशि को सम्बन्धित किराएदारों के खातों में सही करके उनसे उचित राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	किरायदार का नाम	1.4.12 को आरम्भिक बकाया राशि	वित्तीय वर्ष 2012–13 की मांग राशि	कुल देय राशि	वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राप्त कुल राशि	दिनांक 31.3.13 को बकाया राशि का अन्त शेष	आगामी वित्त वर्ष 2012–13 को अग्रेषित बकाया राशि का शेष	बकाया राशि के अग्रेषित शेष में अन्तर	किराया रजिस्टर पृ0 सं0
1	Sh. Roop Lal	17000	500X12M =6000	23000	2500	20500	19000	1500	109
2	Sh. Bhupinder Tanta	78314	2614X12M =31368	109682	7000	102682	78472	24210	107
							कुल जोड़	₹25710	

12 देय बिजली उपकर की वसूली हेतु शेष राशि व प्राप्त बिजली उपकर की राशि से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करना

हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG(B)(1)–9/94, दिनांक 8.11.1999 एवं हि0 प्र0 म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर पंचायत को भुगतान किया जाना प्रावधित है। इस प्रावधान के अनुसार नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के दौरान प्राप्त बिजली उपकर की राशि सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए तथा रोकड़ वही के अवलोकन पर भी पाया गया कि नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 के दौरान बिजली उपकर के रूप में कोई भी राशि बिजली बोर्ड से प्रापत नहीं हुई थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 119, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से सम्पूर्ण अवधि की बिजली उपकर की देय राशि की वसूली सम्बन्धित अभिलेख/आंकड़े सहित प्राप्त करने हेतु तुरन्त आवश्यक पग उठाए जाने सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 देय मदिरा शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि व प्राप्त मदिरा शुल्क से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करना

हि0 प्र0 सरकार शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः ULB-HC(9)–28/96, दिनांक 1.11.1999 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा मदिरा उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर पंचायत को भुगतान किया जाना प्रावधित है। रोकड़ वही के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 के दौरान कुल ₹130680 दिनांक

5.11.2012 को तथा ₹104882 दिनांक 28.6.14 को अर्थात ₹235562 आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त हुई थी, जैसा कि रोकड़ वही में दिनांक 31.3.2014 व 28.6.2014 को की गई प्रविष्टि से स्पष्ट होता है किन्तु इससे सम्बन्धित विवरण कि प्राप्त राशि किस अवधि की थी तथा नगर पंचायत परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा की बोतलों की संख्या कितनी थी इत्यादि अभिलेख/सूचना अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में प्राप्त उपरोक्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 119, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से शेष देय राशि, यदि कोई हो तो, की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति बारे उचित अभिलेख का संरक्षण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा बिजली व शराब उपकर की मांग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख का संरक्षण भी नहीं किया गया था, जिसके अभाव में इन प्राप्तियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकती, जैसे कि निर्धारित दर से कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अतः अपेक्षित अभिलेख के संरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में उचित अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मोबाइल टॉवर शुल्क की ₹0.55 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण को **परिशिष्ट 'ङ."** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2015 तक मोबाइल टॉवर शुल्क की ₹55000 वसूली हेतु शेष थी तथा अभी तक स्थापना शुल्क सहित कोई भी राशि वसूल नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2012 के पैरा 8(ग) व (घ) द्वारा भी परामर्श दिया गया था, किन्तु उसके बावजूद भी सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई अमल में न लाना गम्भीर अनियमितता है। अतः इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	कुल मांग	कुल राशि	प्राप्ति	अन्तिम शेष	वर्ष में मांग की तुलना में प्राप्त राशि की
2012–13	36250	6250	42500	Nil	42500	0%
2013–14	42500	6250	48750	Nil	48750	0%
2014–15	48750	6250	55000	Nil	55000	0%
	कुल जोड़	**₹18750**		**Nil**		**0%Avg**

16 आय की राशि को नगर पंचायत के बैंक बचत खाते में विलम्ब से जमा करवाने से सम्बन्धी अनियमितता

चयनित माह की आय एवं बैंक समाधान विवरणी से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय की राशि प्राप्ति तिथि के पश्चात विलम्ब से पंचायत के बैंक बचत खाते में जमा करवाई गई थी, जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, क्योंकि हि0 प्र0 म्यूनिसिपल लेखा संहिता के नियम 38 के अनुसार राशि उसी दिन या अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा करवाई जानी अपेक्षित है। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में विलम्ब अवधि के दण्ड ब्याज की उचित स्त्रोत से वसूल की जाए तथा भविष्य में प्राप्त आय की राशि को पंचायत निधि के बैंक बचत खाते में समयानुसार जमा करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	आय प्राप्ति का विवरण			बैंक बचत खाते में जमा करने की तिथि		विलम्ब की अवधि
	रसीद सं0	तिथि	राशि	दिनांक/राशि	बैंक खाता सं0	
1	11390 से 11400 तक	4.3.12 से 18.5.12 तक	6350	11.6.12/16200	SBI Saving A/c. No. 11511193705	25d से 3m9d तक
2	11401 से 11412 तक	21.5.12 से 7.6.12 तक	9850			4d से 21d तक
3	11549 से 11559 तक	3.4.13 से 9.4.13 तक	3540	9.4.13/3540		0d से 6d तक
4	11560 से 11587 तक	11.4.13 से 24.4.13	45890	24.4.13/45890		0d से 13d तक
5	12432 से 12434 तक	21.11.14	2000	23.3.15/277204		4m3d
	12435 व 12437 से 12439 तक	21.11.14	2664			4m2d
	12440	8.12.14	100			3m17d
	12441 से 12442 तक	9.12.14	120			3m16d
	12443 से 12445 तक	24.12.14	8200			3m1d
	12446	1.1.15	100			2m23d
	12448 से 12452 तक	6.1.15	1850			2m18d
	12453 से	2.2.15	7770			1m19d

12458 तक			
12459 से 12460 तक	5.3.15	7600–6000 Cheque= 1600	18d
12461 से 12465 तक	19.3.15	252800	4d
	Total	**₹277204**	

17 स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से ₹22.85 लाख का अधिक व्यय करना

Municipality Act,1994 की धारा 53(1) एवं इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा दिनांक 26.6.2001 को जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार नगरपालिकाओं के स्थापना व्यय को नियन्त्रण में रखने हेतु प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार नगरपालिकाओं के लिए स्थापना पर व्यय उनके कुल खर्च के एक तिहाई भाग (1/3) से अधिक नहीं होना चाहिए। अंकेक्षण अवधि के दौरान सचिव द्वारा परिशिष्ट संख्याः 'घ" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्थापना पर निर्धारित सीमा से कहीं अधिक व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न है।

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय	निर्धारित सीमा 1/3 अनुसार व्यय जो स्थापना पर किया जाना चाहिए था	स्थापना पर किया गया वास्तविक व्यय	स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक किया गया व्यय
2012–13	3068083	1022694	1922773	900079(29.34%)
2013–14	3649754	1216585	1528798	312213(8.55%)
2014–15	3982105	1327368	2399780	1072412(26.93%)
कुल जोड़	**₹10699942**	**₹3566647**	**₹5851351**	**2284704(21.35%)**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान नगर पंचायत द्वारा वर्णित नियमों व दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल ₹2284704 अर्थात स्थापना पर औसतन 21.35% का अनियमित रूप से अधिक व्यय किया गया है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 120, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्थापना पर व्यय वर्णित नियमों व दिशा–निर्देशों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 गलत दर से वेतन आहरण करने के कारण ₹0.84 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना

चयनित माह के वेतन बिलों एवं उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्न वर्णित कर्मचारियों को देय दर की अपेक्षा अधिक दर से वेतन का भुगतान किया गया था, जिसका मुख्य कारण दिनांक 1.10.2012 से लागू संवर्ग/पदवार संशोधित ग्रेड पे का लाभ गलत तिथि 1.10.2010 से प्रदान करना तथा दिनांक 1.11.2014 से एक वेतन वृद्धि का अनियमित रूप से प्रदान करना था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 120, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्णित अनियमितता के कारण निम्नानुसार ₹83613 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान हुआ है। अतः उक्त अधिक भुगतान का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में सही दर से वेतन का आहरण भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) श्री शलेन्दर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (Pay band ₹10300–₹34800+₹4800GP&DNI 1st July)

अवधि	आहरित वेतन (प्रति माह)	देय वेतन (प्रति माह)	अन्तर	महंगाई भत्ता	अधिक भुगतान की राशि
1.11.14 to 31.12.14=2m	14770+4800 =19570	14230+4800 =19030	540	578/ (107%)	2236
1.1.15 to 30.6.15=6m	14770+4800 =19570	14230+4800 =19030	540	610/ (113%)	6900
				जोड़	**9136**
	CPS 10% अंशदान (नियोक्ता का हिस्सा)				**914**
				कुल जोड़	**₹10050**

(ii) श्री लोक पाल, वरिष्ठ सहायक(Pay band ₹10300–₹34800+₹4800GP&DNI 1st November)

अवधि	आहरित वेतन (प्रति माह)	देय वेतन (प्रति माह)	अन्तर	महंगाई भत्ता	अधिक भुगतान की राशि
1.11.10 to 31.12.10=2m	15890+4400 =20290	15890+4200 =20090	200	90/ (45%)	580
1.1.11 to 30.6.11=6m	15890+4400 =20290	15890+4200 =20090	200	116/(58%) (DA Actual)	1896
1.7.11 to 31.10.11=4m	15890+4400 =20290	15890+4200 =20090	200	116/ (58%)	1264
1.11.11 to 31.12.11=2m	16480+4400 =20880	16500+4200 =20700	180	104/ (58%)	568
1.1.12 to	16480+4400	16500+4200	180	117/	1782

30.6.12=6m	=20880	=20700		(65%)	
1.7.12 to 30.9.12=3m	16480+4400 =20880	16500+4200 =20700	180	130 / (72%)	930
1.10.12 to 31.10.12=1m	16480+4400 =20880	16500+4400 =20900	(–)20	(–)14 / (72%)	(–)34
1.11.12 to 31.12.12=2m	17110+4400 =21510	17130+4400 =21530	(–)20	(–)14 / (72%)	(–)68
1.1.13 to 30.6.13=6m	17110+4400 =21510	17130+4400 =21530	(–)20	(–)16 / (80%)	(–)216
1.7.13 to 31.10.13=4m	17110+4400 =21510	17130+4400 =21530	(–)20	(–)18 / (90%)	(–)152
1.11.13 to 31.12.13=2m	17760+4400 =22160	17780+4400 =22180	(–)20	(–)18 / (90%)	(–)76
1.1.14 to 30.6.14=6m	17760+4400 =22160	17780+4400 =22180	(–)20	(–)20 / (100%)	(–)240
1.7.14 to 31.10.14=4m	17760+4400 =22160	17780+4400 =22180	(–)20	(–)21 / (107%)	(–)164
1.11.14 to 31.12.14=2m	19120+4400 =23520	18450+4400 =22850	670	717 / (107%)	2774
1.1.15 to 31.10.15=10m	19120+4400 =23520	18450+4400 =22850	670	757 / (113%)	14270
1.11.15 to 31.3.16=5m	19830+4400 =24230	19140+4400 =23540	690	780 / (113%)	7350
				जोड़	**₹30464**

(iii) श्री जोगिन्दर सिंह, सफाई कर्मचारी (Pay band ₹4900–₹10680+₹1650GP&DNI 1st November)

अवधि	आहरित वेतन (प्रति माह)	देय वेतन (प्रति माह)	अन्तर	महंगाई भत्ता	अधिक भुगतान की राशि
1.11.10 to 31.12.10=2m	7210+1650 =8860	7210+1400 =8860	250	113 / (45%)	726
1.1.11 to 30.6.11=6m	7210+1650 =8860	7210+1400 =8860	250	128 / (51%)	2268
1.7.11 to 31.10.11=4m	7210+1650 =8860	7210+1400 =8860	250	145 / (58%)	1580
1.11.11 to 31.12.11=2m	7480+1650 =9130	7470+1400 =8870	260	151 / (58%)	822
1.1.12 to 30.6.12=6m	7480+1650 =9130	7470+1400 =8870	260	169 / (65%)	2574
1.7.12 to 30.9.12=3m	7480+1650 =9130	7470+1400 =8870	260	187 / (72%)	1341
1.10.12 to 31.10.12=1m	7480+1650 =9130	7470+1650 =9120	10	7 / (72%)	17
1.11.12 to 31.12.12=2m	7760+1650 =9410	7750+1650 =9400	10	7 / (72%)	34

1.1.13 to 30.6.13=6m	7760+1650 =9410	7750+1650 =9400	10	8/ (80%)	108
1.7.13 to 31.10.13=4m	7760+1650 =9410	7750+1650 =9400	10	9/ (90%)	76
1.11.13 to 31.12.13=2m	8050+1650 =9700	8040+1650 =9690	10	9/ (90%)	38
1.1.14 to 30.6.14=6m	8050+1650 =9700	8040+1650 =9690	10	10/ (100%)	120
1.7.14 to 31.10.14=4m	8050+1650 =9700	8040+1650 =9690	10	11/ (107%)	84
1.11.14 to 31.12.14=2m	8650+1650 =10300	8330+1650 =9980	320	342/ (107%)	1324
1.1.15 to 31.10.15=10m	8650+1650 =10300	8330+1650 =9980	320	362/ (113%)	6820
1.11.15 to 31.3.16=5m	8960+1650 =10610	8630+1650 =10280	330	373/ (113%)	3515
				जोड़	**₹21447**

(iv) श्री चन्द लाल, सफाई कर्मचारी (Pay band ₹4900–₹10680+₹1650GP&DNI 1st July)

अवधि	**आहरित वेतन (प्रति माह)**	**देय वेतन (प्रति माह)**	**अन्तर**	**महंगाई भत्ता**	**अधिक भुगतान की राशि**
1.10.10 to 31.12.10=3m	5490+1650 =7140	5490+1300 =6790	350	162/(45%) (Actual Drawn)	1536
1.1.11 to 30.6.11=6m	5490+1650 =7140	5490+1300 =6790	350	178/ (51%)	3168
1.7.11 to 31.12.11=6m	5710+1650 =7360	5700+1300 =7000	360	209/ (58%)	3414
1.1.12 to 30.6.12=6m	5710+1650 =7360	5700+1300 =7000	360	234/ (65%)	3564
1.7.12 to 30.9.12=3m	5930+1650 =7580	5910+1300 =7210	370	266/ (72%)	1908
1.10.12 to 31.12.12=3m	5930+1650 =7580	5910+1300 =7560	20	14/ (72%)	102
1.1.13 to 30.6.13=6m	5930+1650 =7580	5910+1650 =7560	20	16/ (80%)	216
1.7.13 to 31.12.13=6m	6160+1650 =7810	6140+1650 =7790	20	18/ (90%)	228
1.1.14 to 30.6.14=6m	6160+1650 =7810	6140+1650 =7790	20	20/ (100%)	240
1.7.14 to 30.10.14=4m	6370+1650 =8050	6380+1650 =8030	20	21/ (107%)	164
1.11.14 to 31.12.14=2m	6650+1650 =8300	6380+1650 =8030	270	289/ (107%)	1118
1.1.15 to 30.6.15=6m	6650+1650 =8300	6380+1650 =8030	270	305/ (113%)	3450

1.7.15 to 31.3.16=9m	6650+1650 =8300	6620+1650 =8270	30	34/ (113%)	576
		जोड़			₹19684
		CPS 10% अंशदान (नियोक्ता का हिस्सा)			₹1968
		कुल जोड़			₹21652

19 एक ही कार्यालय में तैनात पति पत्नी दोनों को आवास भत्ता प्रदान करने के कारण ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करना

चयनित माह के वेतन बिलों एवं उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री पप्पू व उनकी पत्नी श्रीमति नरेशवती, दैनिकभोगी कर्मचारियों को दिनांक 4.1.2014 से नगर पंचायत में सफाई कर्मचारी के पद पर नियमित किया गया था। नियमितिकरण के फलस्वरूप चूंकि दोनों पति पत्नी नगर पंचायत के जुब्बल स्थिति कार्यालय में तैनात है, इसलिए नियमानुसार उनमें से एक को ही आवास भत्ता देय था, जिस हेतु उनसे उचित प्रपत्र पर आवास भत्ता प्रमाण पत्र व यह शपथ पत्र कि उनमें से आवास भत्ता कौन आहरण करेगा, लिया गया अपेक्षित था, किन्तु वर्णित प्रक्रिया न अपनाकर उन दोनों को ही आवास भत्ते का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था, जिसके कारण निम्न विवरणानुसार ₹6726 का अधिक भुगतान किया जा चुका था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 120, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब सम्बन्धित कर्मचारियों से अपेक्षित प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्राप्त करके अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार आवास भत्ते का भुगतान पति पत्नी में से एक को ही किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	मूल वेतन	भुगतान किए गए आवास भत्ते की दर (प्रति माह)	अधिक भुगतान की राशि
4.1.14 to 31.3.16	4900+5090+5290+1300GP	250	6726

20 श्री जोगिन्दर सिंह, सफाई कर्मचारी को महंगाई भत्ते की बकाया ₹284 का अधिक भुगतान करना

चयनित माह के वेतन व्यय/भुगतान वाउचरों एवं उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री जोगिन्दर सिंह, सफाई कर्मचारी को निम्नानुसार महंगाई भत्ते की बकाया ₹284 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण

औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	मूल वेतन	आहरित महंगाई भत्ता@51 % (प्रति माह)	देय महंगाई भत्ता @58% (प्रति माह)	महंगाई भत्ता की कुल देय बकाया राशि	महंगाई भत्ता की भुगतान की गई कुल राशि	महंगाई भत्ता की अधिक भुगतान की गई राशि
1.11.11 to 31.12.11 =2M	7490+1400GP =8890	4544	5156	612x2M= 1224	754x2M =1508	284

21 टैक्सी भाड़े के रूप में ₹0.02 लाख का अनियमित भुगतान करना (वाउचर संख्याः 9, दिनांक 3.10.2013=₹4000)

चयनित माह के वर्णित व्यय/भुगतान वाउचर एवं उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री रनिया राम, मालिक टैक्सी संख्याः HP–1A–2243 को नगर पंचायत के अधिकारियों व कर्मचारियों को हि0 प्र0 शहरी विकास विभाग में "HP Urban Sanitation Sector Assessment-Urban Local Bodies consultation for formulation of Goal, Vision & objectives for HP State sanitation strategy" आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए जुब्बल से शिमला तक जाने व आने हेतु ₹4000 का भुगतान किया गया था। इस व्यय/भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 120, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जिसमें नियमानुसार उचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) इस प्रकरण में बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त करने हेतु विहित निविदा की औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई तथा उचित बिल की अपेक्षा साधारण रसीद पर ही टैक्सी मालिक को एकमुश्त भुगतान किया गया था।

(ख) वाउचर के साथ कोई भी विवरण संलग्न/प्रस्तुत नहीं किया गया कि किन–किन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा टैक्सी में यात्रा की, कुल कितने कि0मी0 की यात्रा तय की गई तथा भुगतान की दर क्या थी, कार्यशाला में उपस्थिति प्रमाण पत्र इत्यादि भी प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में भुगतान की औचित्यता की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव नहीं हो सकी।

(ग) हि0 प्र0 सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्याः Tpt.-F(5)3/2003, दिनांक 25.8.2011 द्वारा 6 सीट वाली साधारण टैक्सी का गैर जनजातीय क्षेत्र हेतु किराया अधिकतम ₹8.74 प्रति कि0

मी0 (सभी कर सहित) की दर से निर्धारित किया गया है तथा जुब्बल से शिमला की दूरी अधिकतम 100 कि0 मी0 आने–जाने की कुल दूरी 200 कि0 मी0 बनती है, इसलिए वर्णित टैक्सी हेतु भुगतान ₹1748 (200 कि0मी0x₹8.74) से अधिक नहीं होना चाहिए था। अतः टैक्सी भाड़े का ₹4000 भुगतान करने के कारण ₹2252(₹4000–₹1748) का अधिक भुगतान हुआ है, जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से अधिक भुगतान की राशि की वसूली करके पंचायत निधि की भरपाई की जाए।

22 नगर पंचायत निधि से ₹0.23 लाख के पेंशन अंशदान (नियोक्ता हिस्से) का अनियमित रूप से अधिक भुगतान करना

(वा0 सं0: 4, दिनांक 5.10.2012=₹44418 व वा0 सं0: 2, दिनांक 2.2.2015, ₹26774)

चयनित माह के वेतन व्यय/भुगतान वाउचरों तथा उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री जोगिन्दर सिंह, सफाई कर्मचारी का पेंशन अंशदान (नियोक्ता हिस्सा)/ग्रेच्युटी अंशदान देय दर की अपेक्षा अधिक दर से नगर पंचायत निधि से पेंशन निधि को भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में विस्तृत अंकेक्षण पर विदित हुआ कि दिनांक 31.3.2016 तक निम्न विवरणानुसार ₹22593 का अधिक भुगतान किया जा चुका था, जोकि अनियमित है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 120, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब इस अनियमितता का समाधान करने ₹22593 को पेंशन निधि से वापिस प्राप्त कर पंचायत निधि में जमा करवाकर किया जाए तथा भविष्य में पेंशन अंशदन (नियोक्ता हिस्सा)/ ग्रेच्युटी अंशदान देय दर से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

पेंशन अंशदान (नियोक्ता हिस्सा)

अवधि	पे बैंड/ग्रेड पे	पे बैंड के अधिकतम का 12% की दर से देय पेंशन अंशदान (नियोक्ता हिस्सा) (प्रति माह)	पेंशन अंशदान (नियोक्ता हिस्सा) की वास्तविक भुगतान राशि (प्रति माह)	अन्तर (प्रति माह)	अधिक भुगतान की राशि
1.9.12 to 30.11.12=3M	4900–10680+ 1400GP	1282	1500	218	654
1.12.12 to 31.7.13 =8M	4900–10680+ 1400GP	1282	1800	518	4144
1.11.14 to 31.3.16=17M	4900–10680+ 1400GP	1282	2200	918	15606
				जोड़	**₹20404**

ग्रेच्युटी अंशदान

अवधि	पे बैंड / ग्रेड पे	पे बैंड के अधिकतम का 5% की दर से देय पेंशन अंशदान (नियोक्ता हिस्सा) (प्रति माह)	पेंशन अंशदान (नियोक्ता हिस्सा) की वास्तविक भुगतान राशि (प्रति माह)	अन्तर (प्रति माह)	अधिक भुगतान की राशि
1.9.12 to 31.7.13=11M	4900–10680+ 1400 / 1650GP	534	733	199	**2189**
				कुल जोड़ (क)+(ख)	**₹22593**

23 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना सामान्य भविष्य निधि से ₹4.30 लाख का अनियमित भुगतान करना

चयनित माह के व्यय एवं अदायगी के वाउचरों की सम्बन्धित अभिलेख के साथ जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार श्री लोकपाल, वरिष्ठ सहायक को सचिव नगर पंचायत के स्वीकृति आदेश संख्याः NP Jbl / 14, दिनांक 17.12.2014 द्वारा सा0 भ0 निधि से ₹430000 के आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि हि0 प्र0 सरकार द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund Rules 2000 के नियम 13(i) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "The advances, withdrawls and final payment from G.P.F shall be sanctioned by the Director"। अतः सचिव नगर पंचायत द्वारा सा0 भ0 निधि से स्वीकृत आहरण की राशि उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस सम्बन्ध में अब अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 अस्थाई अग्रिम की ₹776 के समायोजन का पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना (वाउचर संख्याः 1 & 2, दिनांक 11.2.2015)

हि0 प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम–कसुम्पटी, शिमला व हि0 प्र0 एग्रो इण्डस्ट्रीज निगम–निगम विहार, शिमला को निम्न विवरणानुसार सीमेंट व स्टील की आपूर्ति हेतु क्रमशः ₹49942 व ₹266385=₹316327 का अग्रिम भुगतान किया गया था, जिसके विरूद्ध नगर पंचायत द्वारा केवल ₹315551 के ही बिल वाउचर के साथ उपलब्ध करवाए थे तथा शेष ₹776 का समायोजन किस प्रकार पंचायत द्वारा किया गया, इसका कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 120, दिनांक 13.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब अग्रिम समायोजन से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके सुनिश्चित करते हुए लेन–देन की सत्यापना करवाई जाए।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	अग्रिम भुगतान की राशि	बिल / रसीद सं0 / दिनांक	राशि	अन्तर
1	HP Agro Industries Corpn, Nigam Vihar Shimla-2	Ch. No. 282301, dated 11.2.15 =₹266385	(i) 020377 / 12.2.15	89120	74
			(i) 020378 / 12.2.15	177191	
			Total	**₹266311**	
2	HP State Civil Supplies Corpn. Kasumpati, Shimla-9	Ch. No. 282302, dated 11.2.15=₹49942	(i) 8106094112 / 22.2.15	34800	702
			(ii) Freight Charges	12940	
			(iii) Goods Entry Tax	1500	
	कुल जोड़	**₹316327**	**Total**	**₹49240**	**₹776**
				₹315551	

25 बिजली के बिलों पर विलम्ब शुल्क की ₹0.03 लाख का अनियमित भुगतान करना

व्यय / भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि हि0 प्र0 राज्य बिजली बोर्ड–जुब्बल को अदा किए गए बिजली के बिलों में निम्नानुसार बिलों को समय पर अदा न करने का विलम्ब शुल्क भी शामिल था।

वा0 सं0 / दिनांक	मीटर / खाता सं0	बिल सं0	विलम्ब शुल्क की राशि
2 / 1.9.12	JKC 235	1240794	171
3 / 1.9.12	JC 14	1240793	2178
4 / 1.9.12	JTC 272	1240795	193
6 / 1.9.12	JTND 150047	1142104983	94
5 / 1.9.12	JTND 1500048	1142104985	158
		कुल जोड़	**₹2794**

कार्यालय प्रशासन की जिम्मेवारी है कि बिजली के बिलों का भुगतान समय पर किया जाए, ताकि विलम्ब शुल्क से बचा जा सके। ऐसा न करके नगर पंचायत निधि पर ₹2794 का अनुचित प्रभार डाला गया है, जोकि अनुचित है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अनियमितता भुगतान का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित चूककर्ता कर्मचारी से करके नगर पंचायत निधि की भरपाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से ₹0.07 लाख के श्रमकर की कटौती न करना

नगर पंचायत के चयनित माह व विस्तृत लेखा परीक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यों के बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से निम्न विवरणानुसार ₹7360 श्रमकर की कटौती नहीं की गई थी, जबकि श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः 1–2000(Lab.) BCWA–दिनांक 30.1.2013 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग इस कटौती के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व तदोपरान्त H.P. Building and other Construction workers welfare Board में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

क्र0 सं0	माप पुस्तिका पृ0 सं0/वा0 का विवरण	ठेकेदार एवं कार्य का नाम	कुल भुगतान की राशि	1% की दर से श्रम कर की देय राशि
1	MB No. IC P-271(1st & final bill) Voucher No. 1 dated 25.10.13	Sh. Balbir Singh C/o Wood work in the Office of JE NP-Jubbal W. No. 3	363078	3631
2	MB No. IC P-267(1st & final bill) Voucher No. 2 dated 26.10.13	M/s Des Raj & Sons P/F steel gutter cover W. No. 3 near HPSEB Transformer	21720	217
3	MB No. IC P-268 & 269 (1st & final bill) Voucher No. 3 dated 26.10.13	M/s Des Raj & Sons Steel work in the store cum JE office in W. No. 3 NP- Jubbal	44757	448
4	MB No. IC P-270 (1st & final bill) Voucher No. 4 dated 26.10.13	M/s Des Raj & Sons C/o Jalli work in W. No. 5 across the road	120963	1210
5	MB No. IC P-241 % 242 (1st & final bill) Voucher No. 11 dated 8.10.12	M/s Des raj & Sons C/o Cremation shed near HPSEB power house- Jubbal	114448	1144
6	MB No. IC P-284 & 285 (1st & final bill) Voucher No. 1 dated 24.4.14	M/s Des Raj & Sons P/F Railing in W. No. 3 from Police station to old Telephone Exchange	70956	710
			कुल जोड़	**₹7360**

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए श्रमकर की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करते हुए वर्णित बोर्ड में जमा करवाया जाने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार ठेकेदारों से श्रमकर की कटौती व जमा सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 औपचारिकताओं/विहित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही निर्माण कार्यों का निष्पादन करना

निम्न वर्णित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित भुगतान बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों के आवंटन से पूर्व व बाद से लेकर उनके पूर्ण होने तक नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं। विहित प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं की गई थी जैसा किः–

(क) निर्माण कार्यों के प्राकंलन व विभागीय औचित्य तैयार नहीं किए गए थे।

(ख) नियमानुसार टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाने की अपेक्षा सीमित निविदा आमन्त्रित करने के नोटिस नगर पंचायत सूचना पट, तहसील कार्यालय व जुब्बल बाजार में लगाने हेतु जारी किए गए थे तथा वर्णित नोटिस में निष्पादित की जाने वाली निर्माण कार्य मद की अनुमानित प्रमात्रा व लागत का कोई वर्णन नहीं किया गया था।

(ग) प्राप्त निविदाएं किस तिथि की थी, किस तिथि से प्राप्त हुई थी, किन प्राधिकारियों द्वारा किस तिथि को निविदाओं को खोला गया इत्यादि का कोई उल्लेख निविदाओं पर नहीं था।

(घ) न्यूनतम निविदाकर्त्ता को निर्माण कार्य किन शर्तों व लागत पर आवंटित किया गया, इस सम्बन्ध में न तो कोई आवंटन पत्र ही जारी किया गया था और न ही कोई अनुबन्ध ही साईन किया गया था।

(ङ.) निर्माण कार्य आरम्भ करने व पूर्ण करने की तिथि का माप पुस्तिका में कोई उल्लेख नहीं किया था तथा निर्माण कार्य की समाप्ति पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र भी नहीं दिए गए थे।

क्र0 सं0	माप पुस्तिका पृ0 सं0/वा0 का विवरण	ठेकेदार एवं कार्य का नाम	कुल भुगतान की राशि
1	MB No. IC P-267(1st & final bill) Voucher No. 2 dated 26.10.13	M/s Des Raj & Sons P/F steel gutter cover W. No. 3 near HPSEB Transformer	21720
2	MB No. IC P-268 & 269(1st & final bill) Voucher No. 3 dated 26.10.13	M/s Des Raj & Sons Steel work in the store cum JE office in W. No. 3 NP- Jubbal	44757
3	MB No. IC P-270 (1st & final bill) Voucher No. 4 dated 26.10.13	M/s Des Raj & Sons C/o Jalli work in W. No. 5 across the road	120963
4	MB No. IC P-241 & 242 (1st & final bill) Voucher No. 11 dated 8.10.12	M/s Des raj & Sons C/o Cremation shed near HPSEB power house- Jubbal	114448
5	MB No. IC P-248 % 285 (1st & final bill) Voucher No. 1 dated 24.4.14	M/s Des raj & Sons P/F Railing in W. No. 3 from Police station to old Telephone Exchange	70956

इस प्रकार निमयानुसार आवश्यक औपचारिकताओं/विहित प्रक्रिया का पूर्ण न किया जाना तथा ठेकेदार के बिलों से वैधानिक कटौतियां न करना एक गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या5 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन अनियमितताओं को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 कार्य का नाम :– Steel work in the store cum JE office in W. No. 3 NP-Jubbal

ठेकेदार का नाम :– M/s Des Raj & Sons

वाउचर संख्या :– 1st & Final

माप पुस्तिका संख्या :– MB No. IC P-268 & 269

(क) गलत दर से गणना करने के कारण ठेकेदार को ₹0.15 लाख का अधिक भुगतान करना

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्याः 1 "P/F pressed steel door frames manufactured from commercial mild steel sheet 25mm thick… etc and applying a primary coat of red lead paint" की निष्पादित कुल कार्य प्रमात्रा 11.80Rmt. क ₹1670 प्रति मीटर की दर से ₹19706 का ठेकेदार को भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्याः IC P-269 Abstract of cost), जबकि इस कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार से ₹370 प्रति मीटर की दर अनुबन्धित थी। अतः इस प्रकार गलत दर गणना करने के कारण ठेकेदार को ₹15340 (1180Rmt.x₹1300(₹1670–₹370) का अधिक भुगतान किया गया इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। है। अतः इस अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) स्टील का गलत factor लगाने के कारण ठेकेदार को ₹49 का अधिक भुगतान

कार्य मद संख्याः "2 Steel work in single section including cutting, hoisting, fixing in position & applying a primary coat of red lead paint in gratings, framed guards, bars,

ladders, railing, brackets and similar works" की कुल कार्य प्रमात्रा 287.15 कि0 ग्रा0 का ₹75 की दर से ठेकेदार को ₹21536 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि स्टील का गलत factor लगाने के कारण निम्न विवरणानुसार ₹49 का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका पृ0 सं0	वस्तु का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	लगाया गया factor व कार्य प्रमात्रा	निर्धारित factor व कार्य प्रमात्रा	कार्य प्रमात्रा में अन्तर	दर (प्रति कि0 ग्रा0)	अधिक भुगतान की राशि
IC P–269	Flat 40x6mm	1.30m	2.40kg /3.12 kg	1.90kg /2.47 kg	0.65kg	75	49

29 क्रय की गई ₹5.10 लाख की वस्तुओं का भण्डार रजिस्टर में गणना/ईन्द्राज नहीं करना

वित्तीय नियमों के अनुसार खरीद की गई सारी वस्तुओं/भण्डार की गणना, परीक्षण, माप व तोल तथा भण्डार रजिस्टर में ईन्द्राज करना अति आवश्यक है। अंकेक्षण अवधि के दौरान भण्डार वस्तुओं की खरीद से सम्बन्धित बिलों व भण्डार रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹510574 की भण्डार वस्तुओं का भण्डार रजिस्टर में गणना/ईन्द्राज नहीं किया गया था तथा इस अनियमितता के कारण वर्णित वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस चूक के लिए नगर पंचायत अपने स्तर पर छानबीन/उचित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Name of Supplier & Bill No. & date	Name of Item	Quantity	Rate	Amount	Total
1	M/s Charvi Enterprises Jubbal Bill No. 20 dt. nil	Bed sheets (D/beds)	3 Nos.	570 each	1710	4963
		Bed sheets (S/beds)	1 No.	240 each	240	
		Pillow Covers	5 Nos.	75 each	375	
		Tube Rod 4 ft.	8 Nos.	45 each	360	
		Bulbs 100w	6 Nos.	13 each	78	
		Elect Chokes	8 Nos.	275 each	2200	
2	-do- Bill No. 61 dt. Nil	Toilet cleaner	10 no.	58 each	580	2845
		Phynyl bottle	10 no.	42 each	420	
		Brooms	2 no.	35 each	70	
		Phynyl Goli	15 Pkt.	35 each	525	

		Pureit cleaner Kit	1 no.	520 each	520	
		Tap	2 no.	275 each	550	
		Lock	2 no.	90 each	180	
3	M/s Milkhi Ram Jagat Ram	Quilt (double bed)	2 Nos.	1200 each	2400	4980
	Jubbal Bill No. nil dt. nil	Quilt (single bed)	2 Nos.	615 each	1230	
		Pillows	5 Nos.	150 each	750	
		Razai Cover/ Quilt cover (Single bed)	2 Nos.	300 each	600	
4	M/s Des Raj & Welding Works Jubbal, Bill No. 332 dt. nil	Door, glass window, grill Hinges & Iron paints etc.	One Job	8600 each	8600	
		Iron ladder as per drawing	One Job	11500 each	11500	20100
5	M/s Shiva Electrical Store,	Tube Choke Electronic	75 Nos.	275 each	20625	24625
	Jubbal Bill No.	Tube Rod	75 Nos.	48 each	3600	
	2708 dt. nil	Starter	30 Nos.	10 each	300	
		Tape Roll pvc	10 Nos.	10 each	100	
6	M/s Des Raj Welding Works	Gutter as per drawing	2 Nos. = 63.20kg	75 per kg	9480	36296
	Jubbal, Bill No. 340 dt. nil	Gutter as per drawing	1 No. = 357.55kg	75 per kg	26816	
7	M/s Chauhan Brothers Jubbal,	Bricks	906 Nos.	9.50 each	8607	
	Bill No. 947 dt. Nil	Lime	25kg	10 per kg	250	
		Brush 4 inch	1 No.	160 each	160	
		DDL	1 kg	80 per kg	80	9637
		Sand paper 60	One Meter	120 each	120	
		Primer	One Lit.	90 per ltr.	90	
		Paint brown	One Lit.	220 per ltr.	220	
		Terpentine oil	2 Lit.	55 per ltr.	110	
8	M/s Mikkhi Ram Jagat Ram-	Pureit kit of Compact	1 No.	350 each	350	1151
	Jubbal Bill No. & dt. Nil	Fibre Mesh of Compact	1 No.	100 each	100	
		Cell Pencil for office watch	2 Nos.	9.50 each	19	
		Toilet Cleaner	4 Nos.	58 each	232	
		Phenyl for	1x5 Lit	40 per lit	200	

		Toilets				
		Plastic Taps	4 Nos.	40 each	160	
		Jharoo for office use	2 Nos.	45 each	90	
9	Deepak Aukta Jubbal Bill No. 14 dt. 28.9.11	Cable Armoch 6mm	200 meters	192 per mtr.	38400	66443
		Tube 24 watt	25 Nos.	95 each	2375	
		Sand	318 sq. ft.	26 per sqft.	8268	
		Laying of cable and filling the earth including sand & bricks	220 meters	87 per mtr.	17400	
10	Deepak Aukta Jubbal Bill No. 12 dt. Nil	Choke 24 watt	4 Nos.	280 each	1120	1720
		Tube Rod 24 watt	4 Nos.	150 each	600	
11	Deepak Aukta Jubbal Bill No. 13 dt. Nil	Road 24 watt	75 Nos.	150 each	11250	18600
		Pole repair of street light	21 Nos.	350 each	7350	
12	Deepak Aukta Jubbal Bill No. 14 dt. Nil	Tube Rod 24 watt	85 Nos.	150 each	12750	22970
		Choke 24 watt	4 Nos.	280 each	1120	
		Pole maintance charges	26 Nos.	350 each	9100	
13	M/s Shiva Electrical Store, Jubbal Bill No. 2343 dt. Nil	Tube rod	100 Nos.	45 each	4500	33700
		Choke	100 Nos.	275 each	27500	
		Tube Holder	60 Nos.	15 each	900	
		Tap PVC	20 Nos.	10 each	200	
		Service wire	20 Met.	20 per met.	400	
		Bulb	10 Nos.	20 each	200	
14	M/ Chauhan Brothers Jubbal Bill No. 1297 dt. Nil	Sall wood 2.5x5inch	237.50 Rmt.	122 per Rmt.	28975	28975
15	Deepak Aukta Jubbal Bill No. 100 dt. Nil	LED street light	31 Nos.	1715 each	53165	53165
16	M/s Des Raj Welding Works Jubbal Bill No. 162 dt. Nil	Shutter 3.07x3.05sq. met.	1 No.	16700 each	16700	16700
17	M/s Shiva Electrical Store, Jubbal Bill No. 2144 dt. Nil	Choke Elect.	100 Nos.	270 each	2700	32725
		Tube	100 Nos.	45 each	4500	
		Starter	50 Nos.	10 each	500	
		Tape roll	10 Nos.	10 each	100	
		Service wire	25 met.	25 each	625	
18	M/s charvi	Point of	19 Nos.	1695	32205	32205

	Enterprises Jubbal Bill No. 72 dt. Nil	Electricity with all material		each		
19	M/s Shiva Electrical Store, Jubbal Bill No. 2151 dt. Nil	Floor Tiles 1"x1"	950 Nos.	45 each	42750	44070
		Teeracotta colour	6 ltr.	160 per ltr.	960	
		White ement	12 kg	30 per kg	360	
20	M/s Kishan Gopal & Sons Jubbal Bill No. 642 dt. Nil	Heater	2 Nos.	1750 each	3500	4586
		Dustbin office	2 Nos.	410 each	820	
		Harpic	2 Nos.	63 each	126	
		Mug	4 pcs.	35 each	140	
21	-do- Bill No. 646 dt. 21.10.13	Heat Piller	2 Nos.	2450 each	4900	4900
22	M/s charvi Enterprises Jubbal Bill No. 90 dt. Nil	Tube Rod	50 Nos.	45 each	2250	27150
		T5 Tube Rod	75 Nos.	120 each	9000	
		Elect. Ballast	75 Nos.	200 each	15000	
		Service Wire	30 met.	20 per mtr.	600	
		Holder	10 Nos.	10 each	100	
		Tape Roll	20 Nos.	10 each	200	
23	M/s charvi Enterprises Jubbal Bill No. 72 dt. Nil	Bamboo Brooms	150 kg	120.45 per kg	18068	18068

कुल जोड़ ₹510574

30 स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

हि0 प्र0 नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पचांयत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेंगे और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना के कारण अनियमित है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124, दिनांक 18.4.2016 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, किन्तु उनसे अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी

कद के दुर्विनियोजन/Pilferage की सम्भावना से बचा जा सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 **लघु आपति विवरणिका :–** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

32 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय–समय पर अध्यतन (Updation) एवं पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्रवाई करने की नितान्त आवश्यकता है, ताकि परिषद निधि का नियमानुसार सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः (v) 83/87–फिन(एल0ए0) खण्ड–II–5062–5063 दिनांकः 20.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है

पंजीकृत 1 सचिव, नगर पंचायत जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर, प्रतिवेदन जारी हाने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''क''

पैरा–1 (ग)

गत अंकेक्षणः– गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/1984 से 3/1987

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (बी) (सी)	अनिर्णीत
3	पैरा 9 (ए से सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 9 (डी, ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 13 (बी)	अनिर्णीत
8	पैरा 13 (सी)	अनिर्णीत
9	पैरा 13 (डी)	अनिर्णीत
10	पैरा 13 (एफ)	अनिर्णीत
11	पैरा 13 (जी)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1991

1	पैरा 12 (ग, घ, ङ)	अनिर्णीत
2	पैरा 13 (1) (क से घ)	अनिर्णीत
3	पैरा 15 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 17 (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा 18 (ङ)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1996

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 12 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा 12 (10 व 11)	अनिर्णीत
4	पैरा 12 (16 व 17)	अनिर्णीत
5	पैरा 13 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा 13 (4)	अनिर्णीत
8	पैरा 13 (5)	अनिर्णीत
9	पैरा 13 (6)	अनिर्णीत
10	पैरा 13 (7) (4)	अनिर्णीत
11	पैरा 14 (5)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2005

1	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (घ)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ङ)	अनिर्णीत

4	पैरा 6 (च)	अनिर्णीत
5	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा 8 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा 8 (च)	अनिर्णीत
8	पैरा 8 (ज)	अनिर्णीत
9	पैरा 8 (ट)	अनिर्णीत
10	पैरा 8 (ठ)	अनिर्णीत
11	पैरा 8 (ड)	अनिर्णीत
12	पैरा 8 (ढ)	अनिर्णीत
13	पैरा 8 (ण)	अनिर्णीत
14	पैरा 8 (त)	अनिर्णीत
15	पैरा 8 (थ)	अनिर्णीत
16	पैरा 8 (द)	अनिर्णीत
17	पैरा 8 (न)	अनिर्णीत
18	पैरा 9 (क) (1 से 7)	अनिर्णीत
19	पैरा 9 (क) (9)	अनिर्णीत
20	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत
21	पैरा 9 (ग)	अनिर्णीत
22	पैरा 9 (घ) (1 से 5)	अनिर्णीत
23	पैरा 9 (ङ) (1 से 4)	अनिर्णीत
24	पैरा 10 (क, ख)	अनिर्णीत
25	पैरा 10 (घ)	अनिर्णीत
26	पैरा 10 (ङ)	अनिर्णीत
27	पैरा 10 (च)	अनिर्णीत
28	पैरा 10 (छ)	अनिर्णीत
29	पैरा 11 (क)	अनिर्णीत
30	पैरा 11 (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा 11 (ग)	अनिर्णीत
32	पैरा 11 (घ)	अनिर्णीत
33	पैरा 11 (ङ) (i से ii)	अनिर्णीत
34	पैरा 11 (च)	अनिर्णीत
35	पैरा 11 (छ)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (क से ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 8 (क से ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा 9 (2) (क)	अनिर्णीत
8	पैरा 9 (2) (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 3 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा 3 (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 3 (घ)	अनिर्णीत

12	पैरा 3 (ङ)	अनिर्णीत	
13	पैरा 5 (1)	अनिर्णीत	
14	पैरा 5 (2)	अनिर्णीत	
15	पैरा 5 (3)	अनिर्णीत	
16	पैरा 5 (4)	अनिर्णीत	
17	पैरा 5 (5)	अनिर्णीत	
18	पैरा 6 (1)	अनिर्णीत	
19	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत	
20	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत	
21	पैरा 6 (4)	अनिर्णीत	
22	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत	
23	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत	
24	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत	
25	पैरा 7 (3)	अनिर्णीत	
26	पैरा 7 (4)	अनिर्णीत	
27	पैरा 7 (5)	अनिर्णीत	
28	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत	
29	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत	
30	पैरा 8 (4)	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2012

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत)
2	पैरा 4 (क) से (ग) तक	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 7 (ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा 7 (घ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 8 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
10	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा 8 (ग) व (घ)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
12	पैरा 8 (ड.)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
13	पैरा 8 (च)	अनिर्णीत	
14	पैरा 8 (छ)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
15	पैरा 8 (ज)	अनिर्णीत	
16	पैरा 8 (झ)	अनिर्णीत	
17	पैरा 8 (ञ)	अनिर्णीत	
18	पैरा 8 (ट)	अनिर्णीत	
19	पैरा 8 (ठ)	अनिर्णीत	
20	पैरा 8 (ड)	अनिर्णीत	
21	पैरा 8 (ढ)	निर्णीत	(वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत)
22	पैरा 8 (ण)	अनिर्णीत	
23	पैरा 8 (त)	अनिर्णीत	
24	पैरा 9 (क)	अनिर्णीत	

25	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा 9 (ग)	अनिर्णीत	
27	पैरा 10 (क)	अनिर्णीत	
28	पैरा 10 (ख)	अनिर्णीत	
29	पैरा 10 (ग)	अनिर्णीत	
30	पैरा 10 (घ)(i)	निर्णीत	(वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत)
31	पैरा 10 (घ)(ii)	अनिर्णीत	
32	पैरा 10 (घ)(iii)	अनिर्णीत	
33	पैरा 10 (ड.)	अनिर्णीत	
34	पैरा 10 (च)	अनिर्णीत	
35	पैरा 10 (छ) (i)&(ii)	अनिर्णीत	
36	पैरा 10 (ज)	अनिर्णीत	
37	पैरा 10 (झ)	अनिर्णीत	
38	पैरा 10 (ञ) (i)to(iii)	अनिर्णीत	
39	पैरा 10 (ट) (i)to(v)	अनिर्णीत	
40	पैरा 10 (ठ)	अनिर्णीत	
41	पैरा 11 (क)	अनिर्णीत	
42	पैरा 11 (ख)	अनिर्णीत	
43	पैरा 11 (ग)	अनिर्णीत	
44	पैरा 101 (घ) (i)to(iii)	निर्णीत	(वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत)
45	पैरा 12	अनिर्णीत	
46	पैरा 13	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)